<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति</u>

(2022-23)

120

(सत्रहवीं लोक सभा)

एक सौ बीसवां **प्रतिवेदन**

{कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए)**,** नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब **}**

(03.04.2023 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
प्राक्कथन	(v)
प्रतिवेदन	
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब	1

परिशिष्ट

परिशिष्ट -एक	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	
परिशिष्ट - दो	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	
परिशिष्ट - तीन	समिति की दिनांक 13 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	
परिशिष्ट - चार	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार

4. श्री पल्लब लोचन दास

5. श्री चौधरी मोहन जटुआ

6. चौधरी महबूब अली कैसर

7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे

8. श्री भरत राम मारगनी

9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल

10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

11. श्री टी.एन. प्रथापन

12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम

13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई

15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्तिं के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दस्तावेजों को निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया और दिनांक 13 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए।

4. समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष रखे जाने हेतु लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/सूचना प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>प्रतिवेदन</u>

<u>विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा-परीक्षित लेखाओं को विलम्ब से सभा पटल पर रखना</u>

* * *

निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (निधि) की स्थापना की गई है। निधि का रखरखाव भारत के समेकित कोष के तहत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार, सभी शेयरों जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है, उनको कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा।

2. प्राधिकरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(3) के अनुसार निधि का प्रशासन करने की जिम्मेदारी दी गई है जो निम्नलिखित के लिए निधि का उपयोग करना अधिदेशित करता हैः

(क) दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर, वापसी के लिए देय आवेदन राशि और उस पर ब्याज के संबंध में वापसी;

(ख) निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना;

(ग) शेयरों या डिबेंचरों, शेयरधारकों, डिबेंचर-धारकों या जमाकर्ताओं जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गलत कार्यों के कारण नुकसान उठाना पड़ा हो, न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार, जिसने विघटन का आदेश दिया था, के लिए पात्र और पहचान योग्य आवेदकों के बीच किसी भी अव्यवस्थित राशि का वितरण;

(घ) सदस्यों, डिबेंचर-धारकों या जमाकर्ताओं द्वारा अधिकरण द्वारा स्वीकृत के रूप में धारा 37 और 245 के तहत वर्ग कार्रवाई सूट्स पर कार्रवाई करने में किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति; तथा

(ङ) नियमों जो निर्धारित किए उसके अनुसार उससे संबंधित कोई अन्य उद्देश्य।

3. शेयरों, दावा न किए गए लाभांश, डिबेंचरों आदि के संबंध में दावों की वापसी की सुविधा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 05.09.2016 को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन-वापसी) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। प्राधिकरण को शेयरों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए दो डिमैट खाते, प्रत्येक डिपॉजिटरी के लिए एक, खोला गया है। प्राधिकरण के डीमैट खाते के रख-रखाव के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल की डिपॉजिटरी के रूप में सेवाएं ली गई हैं।

4. समिति ने अधिनियम, नियम या विनियम का उल्लेख करने के लिए कहा जिनके तहत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र सभा के पटल पर रखे जा रहे हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> " कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(10) और (11) के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा सभा के पटल पर रखे जा रहे हैं, जो निम्नानुसार है;
>
> "(10) फंड के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और इस तरह की लेखापरीक्षा गए खातों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ मिलाकर प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ।
>
> (11) प्राधिकरण ऐसे रूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जैसा विहित किया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को भेजेगा और केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट बनाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
>
> इसके अतिरिक्त, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और उसे बनाने में लगने वाला समय) नियम, 2018 के प्रासंगिक सार इस प्रकार हैं:

वार्षिक लेखा विवरण-(1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के साथ समाप्त होने वाली बारह महीनों की अवधि के अंत में, प्राधिकरण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों के अनुसार खातों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ-साथ अनुसूचियों सहित इन नियमों को संशोधित और संलग्न करते हुए निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगा:

(i) बैलेंस शीट,

(ii) आय और व्यय लेखा,

(iii) रसीद और भुगतान खाता।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित बैलेंस शीट, आय और व्यय लेखा और रसीद और भुगतान खातों और अनुसूची को प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा इसकी ओर से प्राधिकृत एक समिति द्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाएगा और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, उस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(3) प्राधिकरण के अनुमोदित खातों को लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए, वर्ष की समाप्ति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को या उसकी ओर से उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जाएगा ।

(4) प्राधिकरण के वार्षिक लेखों,जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए गए हों,को प्राधिकरण द्वारा अंगीकार करने के बाद उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना - (1) प्राधिकरण हर साल में एक बार अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे वर्ष में की गई अपनी गतिविधियों का सही और पूरा लेखा-जोखा दिया जाएगा।

(2) प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में शामिल नहीं की गई किसी अन्य मद को भी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर सकता है ।

(3) प्राधिकरण, जिस वर्ष के लिए इसे तैयार किया गया है, उस वर्ष के समाप्त होने के तुरंत बाद एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के प्ररूप और समय से संबंधित मामलों, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है,को प्रत्येक मामले में निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा और केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।"

5. भारत सरकार द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वित्तपोषण के पैटर्न के सम्बन्ध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"आईईपीएफए को भारत सरकार से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं होता है। प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों का बजट कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बजट में से बजट शीर्ष "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" के तहत किया जाता है। बजट और निधि से वित्तपोषित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में बजट का प्रावधान बजट शीर्ष "अन्य शुल्क-निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष" के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बजट में से किया जाता है ।

(रुपये '000 में)

वित्तीय वर्ष	**(आईईपीएफए-स्थापना)**		**(अन्य शुल्क)**	
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**
2016-17	73,000	24,000	15,000	10,550
2017-18	59,800	51,000	0	4,00,000
2018-19	61,500	34,000	3,00,000	2,00,165
2019-20	47,200	60,400	2,00,000	1,77,500
2020-21	50,900	46,000	2,50,000	1,50,000

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा); 12 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना अपेक्षित है। इस अनिवार्यता का अनुपालन करने के लिए, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखा परीक्षा के लिए एक उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने महसूस किया कि आम तौर पर वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त होगी; अगले छह महीने लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन की छपाई और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को भेजने के लिए दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका तो संबंधित मंत्रालय को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया जाए कि दस्तावेज सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके।

7. लोक सभा के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं की जांच की तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा इन्हें संसद (लोकसभा) के सभा पटल पर रखा गया। इन पत्रों की जांच से पता चला कि वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 तक के आईईपीएफए के आवश्यक दस्तावेज को 37 महीने से 13 महीने से अधिक विलम्ब के साथ 08.02.2021 को तथा वर्ष 2019-2020 के लिए 06.12.2021 को 11 माह 06 दिन के विलम्ब से सभा पटल पर रखा गया। तथापि, वर्ष 2020-2021 के दस्तावेज 13 दिसंबर, 2021 को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल रखे गए हैं। विलम्ब की अवधि के साथ एनबीबी, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

8. समिति ने वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 तक विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को विलम्ब से सभा पटल पर रखने के कारणों को जानना चाहा, तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने बताया कि:

"विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना 2 मई 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत की गई थी। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखांकन, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 को 05.09.2016 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और तैयार करने में लगने वाला समय) नियम, 2018 को सीएंडएजी के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया और 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचित किया गया। नियमों की अधिसूचना के बाद, खाते वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ही देय थे। हालांकि, तथ्यात्मक स्थिति देने के लिए, खातों को पिछले वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 के साथ 2018-19 के लिए भी तैयार किया गया था। एक बजटीय संगठन होने के नाते, प्राधिकरण के खातों का रखरखाव वेतन एवं लेखा कार्यालय,कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। पीएफएमएस में पीएओ, एमसीए द्वारा खाते को अंतिम रूप देना और संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद वर्ष के जून तक इसकी लेखापरीक्षा पूरी हो जाती है, जिसके बाद ही प्राधिकरण अपने खाते को अंतिम रूप देने और तैयार करने की स्थिति में होता है।

चूंकि प्राधिकरण पहली बार एक साथ तीन वित्तीय वर्षों के लिए खाते तैयार कर रहा था, इसलिए प्राधिकरण के सदस्यों के विचार के लिए खातों को अंतिम रूप देने और वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के दौरान कुछ देरी हुई है। हालांकि, ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद सभी गतिविधियां तुरंत पूरी कर ली गई हैं। कोविड लॉकडाउन के कारण ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने में कुछ विलंब हुआ है।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा क्रमश 24 और 25 सितंबर 2020 को लोक सभा और राज्य सभा की पटल पर रखने के लिए 17 सितंबर, 2020 को भेजा गया था। हालांकि, 23 सितंबर, 2020 को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, इसलिए संसद के अगले सत्र के दौरान क्रमशः 8 फरवरी और 9 मार्च 2021 को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर पत्र रखे गए थे।"

9. यह पूछे जाने पर कि क्या संसद के समक्ष पत्रों को समय पर सभा पटल पर रखे जाने को उचित महत्व नहीं दिया गया और चीजों को लापरवाह तरीके से लिया गया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "विलंब विभिन्न चरणों में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अक्तूबर, 2018 में नियम अधिसूचित किए गए थे, जिसके बाद खातों और वार्षिक रिपोर्ट को तुरंत अंतिम रूप दिया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई।
> हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कोविड महामारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण कुछ विलम्ब हुआ।"

10. समिति ने मंत्रालय को आईईपीएफए, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने और वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के प्रत्येक चरण में एमओसीए द्वारा लिए गए समय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। आईईपीएफए, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तारीखों को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है।

11. समिति ने जानना चाहा कि क्या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए)/विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है यदि हां, तो कृपया इसका उल्लेख करें कि भविष्य में देरी को कम करने के लिए मंत्रालय का क्या विचार है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय बताया कि;-

> "प्राधिकरण ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें 2016 से 2021 के दौरान देरी हुई है। लेखों को अंतिम रूप देने और सीएजी को प्रस्तुत करने में देरी मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए पहली बार खातों को तैयार किए जाने के कारण थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में, देरी कोविड संबंधित प्रतिबंध और व्यवधानों के कारण हुई थी। सीएजी से लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति में देरी के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा सभा के पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को अग्रेषित करने से पहले अंतिम रूप देने और स्वीकार करने में समग्र विलंब हुआ है। देरी कुछ हद तक कोविड संबंधित प्रतिबंध और व्यवधानों के कारण भी हुई है।

तथापि, भविष्य में होने वाली देरी से बचने और देरी को कम करने के लिए, समर्पित अधिकारी/कर्मचारियों को लेखा को समय पर तैयार करने और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने, सीसीए द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा और सीएजी द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा का संचालन और समन्वय सुनिश्चित करने और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए इन्हें अंतिम रूप देने, अनुवाद और मुद्रण सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए कार्य सौंपा गया है।"

12. समिति ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए)/विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली से जानना चाहा कि क्या वर्षों के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के उद्देश्य से लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में कोई विलंब हुआ था? कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया है:-

"प्राधिकरण स्वयं लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करता है। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य), सीएजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा दल के माध्यम से किया जाता है।"

13. समिति ने जानना चाहा कि मंत्रालय द्वारा लेखाओं की लेखाओं की लेखा परीक्षा और अंततः लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की समय पर प्राप्ति के मुद्दे को कैसे निपटाया गया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने (एमओसीए)उत्तर में बताया कि:-

"लेखा परीक्षा का मामला समय-समय पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ उठाया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 17/06/2019 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 16/8/2019 को खातों की लेखा परीक्षा के लिए अनुस्मारक दिया गया था। लेखा परीक्षा मांग का उत्तर और ड्राफ्ट एसएआर सहित हाफ मार्जिन तुरंत दिया गया था। लेखा परीक्षा के पूरा होने के बाद, लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए ईमेल के माध्यम से विभिन्न अनुस्मारक जारी किए गए थे।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न अनुस्मारकों के माध्यम से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को समय पर अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि, मुद्दों का

जल्द से जल्द समापन करने की सुविधा के लिए, सीसीए और सीएजी के कार्यालयों के साथ नए समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें समर्पित अधिकारियों/ पदाधिकारियों को विभिन्न मुद्दों के समन्वय के लिए काम सौंपा गया है।"

14. समिति ने मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या दस्तावेजों आदि की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक बुलाने में प्रक्रियागत कठिनाइयों का सामना किया । कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया है:-

"नहीं, प्राधिकरण को वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बैठक आयोजित करने से संबंधित किसी प्रक्रियागत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। प्राधिकरण ने इन रिपोर्टों को स्वीकार करने और उन पर विचार करने के लिए सीएंडएजी से लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के तुरंत बाद बैठकों की व्यवस्था की थी। हालांकि, कोविड संबंधी प्रतिबंधों और व्यवधानों के कारण वित्त वर्ष 19-20 के लिए प्राधिकरण के सदस्यों की बैठकें बुलाने में कुछ देरी हुई।"

15. तत्पश्चात, समिति ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से पूच्छा कि क्या संगठन के पास लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया है:-

"विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 4(2) के अनुसार, प्राधिकरण के खातों की लेखा परीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय, लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।"

16. समिति ने पूछा कि क्या संगठन या मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय का संकेत देते हुए संगठन या मंत्रालय द्वारा समयावधि निर्धारित की गई है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने बताया कि:-

"प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों आदि को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक चरण में कार्य को समय पर पूरा करने के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण

निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और तैयार करने में लगने वाला समय) नियम, 2018 में निर्धारित समय सारणी का पालन करता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 महीने के भीतर वेतन और लेखा कार्यालय, एमसीए द्वारा खातों को अंतिम रूप देते ही वार्षिक खातों और वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की परिकल्पना की गई है। वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा अपनाए जाने के बाद सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए खातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा के संचालन और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के आधार पर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों को प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा अंगीकार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है और सभा के पटल पर रखने के लिए अनुवाद और मुद्रण के लिए आगे मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है हालांकि, ...कोविड से संबंधित व्यवधानों और अन्य बाहरी कारकों के कारण पिछले वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में कुछ देरी हुई थी।"

17. समिति ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि कार्य की प्रगति की निगरानी करने और दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखने को सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय में कोई तंत्र है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया है:-

"मंत्रालय नियमित रूप से समय पर अनुस्मारक जारी करके लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं की तैयारी और अंतिम रूप देने की प्रगति की निगरानी करता है।"

18. समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या उन्होंनें सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जा सके कि दस्तावेजों को समय पर संसद के समक्ष लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर रखा जा सके। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"निर्धारित समय अवधि के भीतर संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण समय पर पर रखने के लिए सभी उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। समर्पित अधिकारी/कर्मचारियों को वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए सीएजी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य सौंपा गया है। इस संदर्भ में, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

परीक्षित लेखाओं के साथ-साथ वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 25 अगस्त 2021 को मंत्रालय को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और इसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा के पटल पर रखा जाएगा। वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं को 17 सितंबर 2021 को लेखा परीक्षा के लिए सीएजी को प्रस्तुत किए गए हैं और सीएजी से प्राप्त होने के बाद वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सभा पटल पर रखे जाएंगे। समर्पित अधिकारी/कर्मचारियों को वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए सीएजी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य सौंपा गया है।“

19. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोकसभा) ने वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 तक के आईईपीएफए, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों की जाँच हेतु 13 दिसंबर, 2021 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

20. मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बताया :-

“प्राधिकरण की स्थापना 2016-17 में की गई। नियमों को अधिसूचित किया गया। जहां तक वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं का सम्बन्ध है इन्हें अक्टूबर, 2018 में अधिसूचित किया गया..... पहला वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखा 2018-19 से देय हुआ। लेकिन हमने इस मामले को काफी सावधानी से लिया। जब हम 2018-19 की तैयारी कर रहे थे, तब हमने 2016-17 और 2017-18 के लेखाओं की भी तयारी की ताकि सही तस्वीर दिखे।“

प्रतिनिधि ने आगे बताया:-

.....मार्च 2020 में कोविड की वजह से लोकडाउन था और उसके कारण विलम्ब हुआ। वह प्रारंभिक समस्या थी। विलम्ब का यही कारण था।

...वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं के संकलन में विलम्ब हुआ लेकिन हम अब 2021 के प्रतिवेदन लोकसभा के सभा पटल पर रख चुके हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है इस साल कोई विलम्ब नहीं है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

21. समिति नोट करती है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली ने भारत सरकार, के सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 237 (तीन) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है और वे आईईपीएफए, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समयावधि अर्थात लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर सभा पटल पर रखने में विफल रहे हैं। समिति नोट करती है कि वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 तक के आईईपीएफए, नई दिल्ली के दस्तावेजों को 37 महीने से लेकर 11 महीने से अधिक विलम्ब के साथ 08.02.2021 को तथा वर्ष 2019-2020 के दस्तावेजों को 11 महीने 06 दिनों के विलम्ब के साथ 06.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया ।

22. आईईपीएफए, नई दिल्ली के दस्तावेजों को विलम्ब से सभा पटल पर रखने के कारणों की जांच करते हुए, समिति ने नोट करती है कि प्राधिकरण को वर्ष 2016-17 में स्थापित किया गया और वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं से संबंधित नियमों को अक्तूबर, 2018 में अधिसूचित किया गया। इसलिए, आईईपीएफए, ने तीन वित्त वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को एक साथ तैयार किया। दस्तावेजों को 24 सितंबर, 2020 को सभा पटल पर रखने हेतु मंत्रालय द्वारा इन्हें 17 सितंबर, 2020 को अग्रेषित किया गया था। परंतु, चूंकि सभा को 23.09.2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, इसलिए उक्त दस्तावेजों को 08.02.2021 को लोक सभा के पटल पर रखा गया । समिति यह भी नोट करती है कि एम्ओसीए/आईईपीएफए ने वर्ष 2020-2021 के

दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए। इसलिए, वर्ष 2020-2021 के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा गया। समिति आशा करती है कि आगामी वर्षों के आईईपीएफए, नई दिल्ली के आवश्यक दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

23. समिति मंत्रालय से इस बात के लिए भी आग्रह करती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आईईपीएफए, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सदन के पटल पर नहीं रखा जा सके तो उन कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो नौ महीने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 30 दिवस के भीतर अथवा उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् जैसे ही सभा समवेत हो जैसा भी मामला हो, सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए कि क्यों नहीं आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर रखा जा सका।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

---

*वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 27.03.2023 को रखे गए हैं।

<u>परिशिष्ट - एक</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा *1*</u>

आईईपीएफए, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि
2016-17	31.12.2017	08.02.2021	37 महीने 08 दिन
2017-18	31.12.2018	08.02.2021	25 महीने 08 दिन
2018-19	31.12.2019	08.02.2021	13 महीने 08 दिन
2019-20	31.12.2020	06.12.2021	11 महीने 06 दिन
2020-21	31.12.2021	13.12.2021	कोई विलंब नहीं

<u>परिशिष्ट -दो</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 10</u>

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण , नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।

उप-प्रश्न	बिंदु	वित्त वर्ष					
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**	**2020-2021**
10 (एक)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि।	लागू नहीं	17.06.2019, 16.08.2019 और 13.09.2019			11.09.2020	17.09.2021
	लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।		2 महीने और 16 दिन			5 महीने और 10 दिन	5 महीने और 16 दिन
10(दो)	सांविधिक (सीएजी) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	लागू नहीं	16.09.2019			06.10.2020	8 अक्टूबर 2020 तक नियुक्ति नहीं
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के पश्चात लिया गया समय		3 महीने			24 दिन	
10 (तीन)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	लागू नहीं	29.08.2019			29.07.2020	24.08.2021
	लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय		4 महीने और 28 महीने			3 महीने और 28 दिन	4 महीने और 23 दिन
10(चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तिथि।	लागू नहीं	13.09.2019			11.09.2020	17.09.2021
	संबंधित लेखा वर्ष की		5 महीने और 12 दिन			5 महीने और 10	5 महीने

	समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।			दिन	और 16 दिन
10 (पाँच)	सांविधिक लेखापरीक्षकों (सीएजी) द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की तिथि और अवधि।	लागू नहीं	18.11.2019 to 03.12.2019	16.10.2020 to 13.11.2020	लागू नहीं
10(छह)	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखे तैयार करने के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा प्रश्न उठाए जाने की तिथि।	लागू नहीं	लेखापरीक्षा के दौरान हाफ मार्जिन सहित विभिन्न लेखापरीक्षा मांगें उठाई गईं, जिनका लेखापरीक्षा के दौरान ही लेखापरीक्षा दल को तुरंत उत्तर दिया गया। लेखापरीक्षा पूरी होने के पश्चात, एसएआर का प्रारूप 13.12.2019 को प्राप्त हुआ था	लेखापरीक्षा के दौरान हाफ मार्जिन सहित विभिन्न लेखापरीक्षा मांगें उठाई गईं, जिनका लेखापरीक्षा के दौरान ही लेखापरीक्षा दल को तुरंत उत्तर दिया गया। लेखापरीक्षा पूरी होने के पश्चात, एसएआर का प्रारूप 23.11.2020 को प्राप्त हुआ था	लागू नहीं
	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखे तैयार करने के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से प्रश्न पूछने में लिया गया समय।		10 दिन	10 दिन	

10 (सात)	लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिए जाने की तिथि।	लागू नहीं	18.12.2019 और 24.12.2019	11.12.2020	लागू नहीं.
	प्रश्नों का उत्तर देने में लिया गया समय		5 दिन	18 दिन	
10 (आठ)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि	लागू नहीं	13.12.2019	23.11.2020	लागू नहीं
	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के पश्चात लिया गया समय		10 दिन	10 दिन	
10(नौ)	संस्थान द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि	लागू नहीं	22.06.2020	10.05.2021 और 23.06.2021	लागू नहीं
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी करने के पश्चात लिया गया समय		6 महीने 10 दिन	5 महीने 17 दिन	

10(दस)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा संस्थान को अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लेखाओं की प्राप्ति के पश्चात लिया गया कुल समय		9 महीने 10 दिन	9 महीने 12 दिन	लागू नहीं
10	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि।	लागू नहीं	16.07.2020	13.08.2021	लागू नहीं

(ग्यारह)					
	वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय; और		1 वर्ष 4 महीने 16 दिन	1 वर्ष 5 महीने 13 दिन	लागू नहीं
	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात लिया गया समय		24 दिन	1 महीने 20 दिन	
10 (बारह)	सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों को अनुमोदित कराए जाने की तिथि	लागू नहीं	29.07.2020	24.08.2021	लागू नहीं
	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात लिया गया समय		13 दिन	11 दिन	लागू नहीं
	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात लिया गया समय		1 महीने 7 दिन	2 महीने 1 दिन	लागू नहीं
10 (तेरह)	दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण हेतु लिए जाने की तिथि	लागू नहीं.	30.07.2020	24.08.2021	लागू नहीं
	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने हेतु लिया गया समय		अनुवाद के लिए 15 दिन मुद्रण के लिए 15 दिन	विलंब से बचने के लिए अंतिम रूप दिए जाने के बाद अनुवाद और मुद्रण समवर्ती रूप से किया गया ।	

10 (चौदह)	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने के पश्चात दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को भेजने की तिथि	लागू नहीं	03.09.2020	25.08.2021	लागू नहीं
	मंत्रालय के दस्तावेजों को भेजने में संगठन द्वारा लिया गया समय		5 दिन	1 दिन	
10 (पंद्रह)	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि	लागू नहीं	लोक सभा *: 08.02.2021 राज्य सभा * : 09.03.2021	किया जाना है**	लागू नहीं
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात लिया गया समय		लोक सभा : 5 महीने 5 दिन राज्य सभा : 6 महीने 6 दिन	लागू नहीं	

* वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 24 और 25 सितंबर, 2020 को रखने के लिए 17 सितंबर, 2020 को भेजा गया था । हालांकि, 23 सितंबर, 2020 को दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए थे, दस्तावेजों को संसद के अगले सत्र के दौरान क्रमशः 8 फरवरी और 9 मार्च, 2021 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन के साथ लेखे मंत्रालय में प्राप्त हो गए हैं और इन्हें आगामी सत्र में दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

परिशिष्ट -चार

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)
की बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 13 दिसंबर, 2021 को 15:00 बजे से 16:30 बजे तक समिति कक्ष 'ग', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

XX XX XX XX

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के प्रतिनिधि

1. श्री मनोज पाण्डेय - संयुक्त सचिव, एमसीए एंड सीईओ, आईईपीएफए

2. श्री संजय जैन - निदेशक, एमसीए
3. लेफ्टिनेंट कर्नल तुषार आनंद - महाप्रबंधक, आईईपीएफए
4. श्री गौरव गुप्ता - उप महाप्रबंधक, आईईपीएफए
5. श्री भारत भूषण - लेखा अधिकारी, आईईपीएफए

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. से 9. XX XX XX XX

10. उसके बाद, आईईपीएफए के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया था।

11. सभापति ने समिति की बैठक में मंत्रालय और आईईपीएफए के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक बुलाने के प्रयोजन के बारे में बताया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश-58 के प्रावधानों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

12. आईईपीएफए के सीईओ ने वर्ष 2018-19 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में बताया कि प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2016-17 में हुई थी। अक्टूबर 2018 से, नियमों को अधिसूचित किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2018-19 को पहला वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने इसे बड़ी सावधानी से लिया, वे 2018-19 के दस्तावेज सभा पटल पर रखने की तैयारी कर रहे थे और वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए लेखे भी तैयार किए। प्रतिनिधि ने वर्ष 2019-20 में हुए विलंब के बारे में भी बताया। प्रक्रिया के अनुसार, पहले लेखे तैयार किए जाते हैं और फिर हम वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करते हैं। लेखाओं को तब अंतिम रूप दिया जाता है जब मुख्य लेखा नियंत्रक इसे अंतिम रूप देते हैं। उनकी अलग से लेखापरीक्षा नहीं होती है क्योंकि उन्हें कोई अनुदान नहीं मिलता है।वे अनुदानग्राही संगठन नहीं हैं, इसलिए वे सरकार पर निर्भर हैं।जब मुख्य लेखा नियंत्रक लेखे को अंतिम रूप देते हैं, तब हम अपने

लेखे तैयार करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक की कार्य अवधि जून, 2020 तक है और मार्च 2020 में कोविड था और लॉकडाउन था और उसके कारण विलंब हुआ है।प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि 2020-21 के लिए, वार्षिक लेखाओं के संकलन में देरी हुई लेकिन आज 2021 के लिए उन्होंने लोक सभा में पटल पर रखा है। इस वर्ष कोई देरी नहीं हुई है।

13. तत्पश्चात माननीय सभापति ने इस विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा के लिए मंत्रालय और आईईपीएफए के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गयी है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>परिशिष्ट-</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

16. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

17. श्री चौधरी मोहन जटुआ

18. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

19. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****